अनुदान संख्या 88 – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
GRANT No. 88–MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1481,60,00		1581,61,00	1539,01,86	–42,59,14
पूरक	Supplementary	100,01,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					33,98,41
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			118,10,00	118,10,00	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (4259.14 लाख रु.) दिसम्बर, 2005 और मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 10001.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 43 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.4259.14 lakhs) constituted 43 percent of the supplementary grants of Rs.10001.00 lakhs obtained in December, 2005 and March, 2006 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes				
मू.	O.	9060.00			
पू.	S.	1.00	10124.42	9930.71	–193.71
पु.	R.	1063.42			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	35236.00	28962.68	28381.86	–580.82
पु.	R.	–6273.32			
मुख्य शीर्ष "2550" अन्य सामान्य सेवाएं	Major Head "2550" Other Social Services				
मू.	O.	485.00	590.35	592.83	+2.48
पु.	R.	105.35			
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat - Social Services				
मू.	O.	1359.00	1276.90	1238.13	–38.77
पु.	R.	–82.10			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	6263.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–6263.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	95461.00	113186.29	113176.45	–9.84
पू.	S.	10000.00			
पु.	R.	7725.29			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''3602'' संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	290.00	615.95	575.85	–40.10
पु.	R.	325.95			

(I) 6923.00 लाख रु. का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 6763.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(I) Provision of Rs.6923.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these Rs.6763.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान'' - 6263.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि व्यपगत न होने वाले पूल को अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "2552" – "Other Expenditure-Lumpsum provision for schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim"- Rs.6263.00 lakhs – due to re-appropriation of part funds to the functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount to non-lapsable pool.

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा - अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय'' - 500.00 लाख रु. स्कीम तैयार न किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Welfare of Scheduled Castes – Education – Residential Schools for Scheduled Castes Students" - Rs.500.00 lakhs - due to non-formulation of the scheme.

(II) मुख्य शीर्ष ''2251'' - ''सचिवालय - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय'' के अंतर्गत 120.87 लाख रु. की बचत (1359.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा योजनेतर मदों और गैर-वेतन मदों पर कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2251"- "Secretariat - Ministry of Social Justice and Empowerment"– saving of Rs.120.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1359.00 lakhs) was due to cut on non-plan items and non-salary items by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष ''2225'' - ''पिछड़े वर्गों का कल्याण - अन्य व्यय - पिछड़े वर्गों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता'' के अंतर्गत 176.32 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वैच्छिक संगठनों से अपर्याप्त

(III) Under "Major Head "2225" - "Welfare of Backward Classes - Other Expenditure - Assistance to Voluntary Organisations for Backward Classes" – saving of Rs.176.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to receipt of insufficient proposals

प्रस्तावों के प्राप्त होने और राज्य सरकारों से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''समाज कल्याण'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) ''विकलांगों का कल्याण'' -

(क) ''राष्ट्रीय अंध, बधिर, मानसिक रूप से मंद और अस्थिविकलांग संस्थान का विस्तार और सुधार'' - 414.81 लाख रु. की बचत (6611.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना कार्यकलापों को शुरू न किए जाने और संस्थानों से पूरे प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(ख) ''अन्य स्कीमें'' - 2732.35 लाख रु. की बचत (17559.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ केंद्रों को बंद कर दिए जाने, योजनेतर व्यय पर कटौती किए जाने, तकनीकी परामर्शदात्री समिति द्वारा कम प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान किए जाने और निरीक्षण रिपोर्टें प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''बाल कल्याण'' -

(क) ''देश में गोद लेने की प्रवृति को बढ़ावा देने के लिए शिशु एवं बाल गृहों को सहायता'' - 276.37 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) ''बेघर बच्चों के संबंध में स्कीम'' - 661.00 लाख रु. की बचत (1720.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) ''देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले कामकाजी बच्चों के कल्याण संबंधी स्कीम'' - 588.08 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) ''मद्य-निषेध - मद्य-निषेध के लिए शिक्षा कार्य'' - 828.90 लाख रु. की बचत (3064.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

from voluntary organisations and non-receipt of inspection report from the State Governments.

(IV) Under Major Head "2235" – "Social Welfare" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Welfare of Handicapped" –

(a) "Expansion and improvement of National Institute for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and Orthopaedically Handicapped" – saving of Rs. 414.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 6611.00) lakhs was due to non-taking up of plan activities and non-receipt of complete proposals from the institutes.

(b) "Others Schemes" – saving of Rs. 2732.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 17559.00 lakhs) was due to closure of some centres, cut on non-plan expenditure, clearance of less proposals by Technical Advisory Committee and non receipt of inspection reports.

(B) "Child Welfare"-

(a) "Assistance to Homes for Infant and Young Children for promotion in-country adoption" – saving of Rs.276.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs);

(b) "Scheme for Street Children" – saving of Rs.661.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1720.00 lakhs);

(c) "Scheme for Welfare of Working Children in need of Care and Protection" – saving of Rs. 588.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs);

(C) "Prohibition – Education Work for Prohibition" - saving of Rs.828.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 3064.00 lakhs);

(घा) ''स्वैच्छिक संगठनों को सहायता'' -

(क) ''सामाजिक सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता'' - 118.90 लाख रु. की बचत (550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता'' - 999.40 लाख रु. की बचत (2405.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्वैच्छिक संगठनों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने और राज्य सरकारों से निरीक्षण रिपोर्टें प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(V) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जाति संघटक योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता - अनुसूचित जाति संघटक योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत स्कीमें'' - 8386.00 लाख रु. की बचत (48997.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पिछड़े वर्गों का कल्याण - शिक्षा'' -

(क) ''मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति '' - 279.38 लाख रु. की बचत (2895.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति'' - 428.00 लाख रु. की बचत (2399.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें मंत्रालय की केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों को निधियों का अपवर्तन किए जाने के कारण हुईं।

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत 220.55 लाख रु. की बचतेंहुई, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख

(D) "Assistance to Voluntary Organisations" –

(a) "Assistance to Voluntary Organisations for providing Social Defence Services" – saving of Rs.118.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 550.00 lakhs); and

(b) "Assistance to Voluntary Organisations for programmes relating to Aged" – saving of Rs.999.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2405.00 lakhs).

Savings under the above six heads were due to receipt of less proposals from Voluntary Organisations and non-receipt of inspection reports from the State Governments.

(V) Under Major Head "3601" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Grants for Central Plan Schemes - Welfare of Scheduled Castes - Special Central Assistance for Scheduled Castes Component Plan – Schemes under Special Central Assistance for Scheduled Castes Component Plan" – saving of Rs.8386.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.48997.00 lakhs);

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Welfare of Backward Classes - Education"-

(a) "Post-Matric Scholarship" – saving of Rs.279.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2895.00 lakhs); and

(b) "Pre-Matric Scholarship" – saving of Rs.428.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2399.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to diversion of funds to the centrally sponsored schemes of the Ministry.

(VI) Under three heads savings of Rs.220.55 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting

रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1164.07 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2225'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा'' -

(क) ''बाल छात्रावास'' - 400.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 399.60 लाख रु. था।

(ख) ''बालिका छात्रावास'' - 500.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 499.70 लाख रु. था।

(खा) ''सामान्य - स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - अनुसूचित जातियों/जनजातियों संबंधी परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों को चलाने के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान'' - 264.07 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 208.86 लाख रु. था।

(I) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2225'' - ''अनुसूचित जातियों का कल्याण - अन्य व्यय - अनुसूचित जातियों से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों को सहायता'' - 117.95 लाख रु. का अधिक व्यय (2600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में स्थित गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान जारी किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2250'' - ''अन्य व्यय - अन्य मदें'' - 140.02 लाख रु. का अधिक व्यय (147.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़ों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का कार्यकाल बढ़ाए जाने और लंबित बिलों का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

15 percent to 97 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.1164.07 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under Major Head "2225" - under the following heads:-

(A) "Welfare of Scheduled Castes – Education"

(a) "Boys Hostels" - Rs.400.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.399.60 lakhs.

(b) "Girls Hostels" – Rs.500.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs. 499.70 lakhs.

(B) "General – Aids to Voluntary Organsiations- Grants to Non-Government Institutions for running Pre-examination Training Centres for Scheduled Castes/Tribes" - Rs.264.07 lakhs. Actual excess, however, was Rs.208.86 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2225" – "Welfare of Scheduled Castes – Other Expenditure – Assistance to Voluntary Organisations for Scheduled Castes" – excess of Rs.117.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 2600.00 lakhs) was due to release of grants to Non-Government Organisations located in North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "2250" – "Other Expenditure– Other Items" – excess of Rs. 140.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 147.00 lakhs) was due to extension of term of the National Commission for Economically Backward among religious and linguistic Minorities and clearance of pending bills.

(C) Major Head "3601" – excess occurred under the following heads:-

(क) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता का अतिरिक्त कोचिंग के माध्यम से उन्नयन'' - 621.30 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(i) ''समाज कल्याण - सुधारात्मक सेवाएं - किशोरों के कुसमायोजनों की रोकथाम और नियंत्रण'' - 1912.51 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) ''पिछड़े वर्गों का कल्याण - शिक्षा - बाल और बालिका छात्रावास'' - 1791.51 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(iii) ''अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा'' -

(1) ''बाल छात्रावास'' - 2257.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(2) ''बालिका छात्रावास'' - 1824.01 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(3) ''मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम'' - 1069.16 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय मंत्रालय द्वारा स्कीम लागू किए जाने का निर्णय बजट पश्चात लिए जाने के कारण हुआ।

(4) ''नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार रोकथाम अधिनियम, 1989 के संबंध में कार्यान्वयन तंत्र'' - 152.05 लाख रु. का अधिक व्यय (3591.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से अधिक मांगें प्राप्त होने के कारण हुआ।

(a) "Grants for Central Plan Schemes - Welfare of Scheduled Castes – Education – Upgradation of merit of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students through extra coaching" – excess of Rs.621.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh);

(b) "Grants for Centrally sponsored Plan Schemes" –

(i) "Social Welfare – Correctional Services – Prevention and Control of Juvenile Maladjustments" – excess of Rs.1912.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh);

(ii) "Welfare of Backward Classes – Education – Boys and Girls Hostels" – excess of Rs.1791.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh);

(iii) "Welfare for Scheduled Castes – Education" -

(1) "Boys Hostels" – excess of Rs.2257.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 1.00 lakh);

(2) "Girls Hostel" – excess of Rs.1824.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 1.00 lakh); and

(3) "Pre Matric Scholarship Scheme" - excess of Rs.1069.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh).

Excess under the above six heads was due to post budget decision for implementation of the scheme by the Ministry.

(4) "Machinery of Implementation of Protection of Civil Rights Act, 1955 and Prevention of Atrocities Act, 1989" – excess of Rs.152.05 lakhs(against the sanctioned provision of Rs.3591.00 lakhs) was due to more demands from the State Governments.

(5) ''मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम'' - 7650.02 लाख रु. का अधिक व्यय (10000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 47069.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विद्यालयों और कालेजों में शुल्क ढांचे में उर्ध्वमुखी संशोधन होने के कारण हुआ।

(5) "Post Matric Scholarship Scheme"- excess of Rs.7650.02 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.47069.00 lakhs including supplementary grant of Rs.10000.00 lakhs) was due to upward revision of fee structure in schools and colleges.

(घा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण- शिक्षा - बालिका छात्रावास'' - 242.52 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) मंत्रालय द्वारा स्कीम को बनाए रखने और लागू किए जाने का निर्णय बजट पश्चात लिए जाने के कारण हुआ।

(D) Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Welfare of Scheduled Castes - Education - Girls Hostels" - excess of Rs.242.52 lakhs (against nil provision) was due to post budget decision for retaining and implementing the scheme by the Ministry.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 158.71 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 68 प्रतिशत था। एक शीर्ष के अंतर्गत समस्त व्यय निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया गया।

(III) Under two heads excess of Rs.158.71 lakhs occurred, each exceeding Rs. 50.00 lakhs but not exceeding Rs. 100.00 lakhs and constituting 68 percent of the sanctioned provision. Under one head, the entire expenditure was met by re-appropriation of funds.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4225'' अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4225" Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes				
मू.	O.	9970.00	10710.00	10710.00	. .
पु.	R.	740.00			
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	740.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–740.00			

(I) 740.00 लाख रु. का प्रावधान एक मामले में मुख्य शीर्ष "4552"- "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित एकमुश्त प्रावधान" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.740.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" – "Other Expenditure – Lumpsum provision for benefit of North Eastern Region and Sikkim" – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on the projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4225" - "सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं:-

4.(I) The above savings were offset by excess under Major Head "4225" -"General – Investment in Public Sector and Other Undertakings" - under the following heads:-

(का) "राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम" - 200.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(A) "National Backward Classes Finance and Development Corporation" – excess of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs); and

(खा) "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम" - 540.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1960.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(B) "National Minorities Development and Finance Corporation" – excess of Rs.540.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1960.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में स्थित राज्य प्रणालन अभिकरणों से अधिक मांगे प्राप्त होने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to more demands from State channelising agencies located in North Eastern Region and Sikkim.